

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद
प्रतापगढ (राज.)

सरकार

बनाम

अमरचन्द्र

किस्म मुकदमा : नियमित दांडिक

प्रकरण संख्या 202/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय
10.04.2026	<p>अभियोजन अधिकारी उपस्थित। साक्ष्य मफरूरी में गंवाह अनु0। अभियुक्त अमरचन्द्र को दिनांक 09.12.2025 को मफरूर घोषित किया जा चुका है। प्रकरण में मुख्य साक्षी की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। अतः इस प्रकरण में वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। पत्रावली में दिनांक 09.12.2026 की पालना में यदि अभियुक्त का स्थायी वारंट जारी नहीं किया गया हो तो अविलंब स्थायी वारंट जारी किया जावे। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाये कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p>	